

Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited

(A Govt. of Chhattisgarh Undertaking)

ELECTRICITY TARIFF PETITION FOR FY 2025-26 **NOTICE FOR INVITING OBJECTIONS AND SUGGESTIONS**

In compliance to the provisions contained in Section 62 & 64 of Electricity Act, 2003 read together with Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (CSERC) (Multi Year Tariff) Regulations, 2021, Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited (CSPDCL) has filed a petition for true-up for FY 2023-24, determination of Aggregate Revenue Requirement (ARR) and projection of revenue at existing tariff and charges with revenue gap and determination of retail supply tariff for FY 2025-26 before the Hon'ble CSERC. This petition is registered as 98/2024. Further, CSPDCL vide additional submission dated 21/03/2025, has requested the Commission to include additional sum of Rs.367.97 Cr. in ARR for FY 2025-26 towards Advance Metering Infrastructure Service Provider (AMISP) Service Charges related to Smart Metering Project. Consequently, projected revenue gap for FY 2025-26 has increased from Rs.4559.30 Cr. to Rs.4947.41 Cr. Summary of final true up for FY 2023-24 and comparison between ARR submitted in petition and ARR submitted in additional submission dated 21/03/2025 is given in table below:

Summary of final true-up of FY 2023-24

S.No.	Particulars	Amount (Rs. Cr.)
01.	ARR approved in Tariff Order dated 28.03.2023	17228.31
02.	ARR based on audited accounts	23079.22
03.	Revenue from sale of power as per audited accounts	22242.97
04.	Standalone Revenue (Gap)/Surplus (3-2)	(836.24)
05.	(Gap)/Surplus carried forward from final true-up of FY 2021-22 in respect of CSPGCL, CSPTCL & CSLDC	(586.73)
06.	(Gap)/Surplus carried forward from final true-up of FY 2021-22 for CSPDCL, including impact of review petition	(4321.46)
07.	Reduce excess provisioning for RPO in FY 2016-17 and FY 2017-18 with carrying cost	179.50
08.	Net closing Revenue (Gap)/surplus of FY 2023-24 (4+5+6+7)	(5564.93)
09.	Carrying Cost	(37.89)
10.	Total closing Revenue (Gap)/surplus forwarded for FY 2025-26 (8+9)	(5603.23)

Revised ARR for FY 2025-26 (Standalone) and revised net deficit for FY 2025-26

S.No.	Particular	Amount submitted in petition (Rs. Cr.)	Amount submitted in additional submission (Rs. Cr.)
01.	ARR projection for FY 2025-26	23082.26	*23450.23
02.	Projected Revenue on the basis of existing tariff	24653.71	24653.71

03.	Standalone Revenue (Deficit)/Surplus for FY 2025-26 (2-1)	1571.45	1203.48
04.	Total Closing (Deficit)/Surplus of FY 2023-24 carried forward with carrying cost	(5603.23)	(5603.23)
05.	Holding/ carrying cost for the year	(527.52)	(547.66)
06.	Net (Deficit)/Surplus for FY 2025-26 (4+5)	(6130.75)	(6150.89)
07.	Net cumulative revenue Surplus/(Deficit) for FY 2025-26 (6+3) (with carrying cost)	(4559.30)	(4947.41)

* Sum of Rs.367.97 Cr. has been added towards service charges of AMISP (Smart Metering Project)

Proposals related to retail tariff for FY 2025-26:

- (i) Uniform tariff hike across all consumer categories required to meet proposed gap.
- (ii) To allow the consumers eligible for ToD Tariff (HV-2, HV-3, HV-4) to draw additional demand of 20% over their contract demand during "Solar Hours".
- (iii) To provide reasonable tariff for new connections on low voltage supply (LV) to applicants requesting power above 112 kW upto maximum of 150 kW.
- (iv) To delete low load factor categories in 11 KV and 33 KV voltage level from the tariff categories HV-3 (Other industries and general purpose non-industrial) and HV-4 (Steel industries).

Copy of the additional information dated 18/03/2025, additional submission dated 21/03/2025 alongwith tariff petition, original and revised gist and subsequent additional information submitted by CSPDCL have been made available in Commission's website: www.cserc.gov.in and CSPDCL's website www.cspdcl.co.in

Copies of the tariff petition in English and its summary in Hindi, shall be made available at office of the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission, (ii) Executive Director (RA&PM) CSPDCL, Dangania Raipur and (iii) CSPDCL's Regional Offices at Raipur City, Raipur Rural, Bilaspur, Durg, Jagdalpur, Rajnandgaon, Ambikapur & Raigarh Regions and the Circle offices of these Regions, during office hours.

Interested persons can purchase tariff petition on any working day after making payment of Rs. 100/- for petition and Rs. 50/- for its summary in Hindi. Copy of the petition and its summary in Hindi can also be obtained by post on additional payment of Rs. 50/- towards postage fee.

Persons / institutions interested to file objections / suggestions relating to this petition may send the same within 21 days from the publication of this notice to Secretary, CSERC, Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur Pin – 492001, cserc.sec.cg@nic.in and/or Executive Director (RA&PM), 4th Floor, Sewa Bhavan, CSPDCL, Raipur, Pin – 492013, cecomcseb@rediffmail.com. The Commission shall also conduct public hearing on the above petition for which place, date and time shall be notified separately through newspapers.

**EXECUTIVE DIRECTOR (R.A. & P.M.)
C.S.P.D.C.L. RAIPUR**

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

विद्युत टैरिफ याचिका वर्ष 2025-26 आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62, 64 एवं उनके अन्तर्गत अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ) विनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुपालन में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) द्वारा वर्ष 2025-26 के लिये टैरिफ याचिका माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की है, जिसे याचिका क्रमांक 98/2024 के रूप में पंजीकृत किया गया है। इस टैरिफ याचिका में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अंतिम टू-अप; वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये वार्षिक राजस्व आवश्यकता का निर्धारण एवं विद्युत की फुटकर दरों के निर्धारण का प्रस्ताव सम्मिलित है। आगे यह कि CSPDCL द्वारा दिनांक 21/03/2025 को प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता में स्मार्ट मीटर से जुड़े सर्विस चार्ज रु.367.97 करोड़ को जोड़ने का निवेदन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतिम टू-अप का सार एवं सर्विस चार्ज को जोड़ने के उपरान्त वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं याचिका में दायर की गई वार्षिक राजस्व आवश्यकता की तुलना निम्न तालिका में दर्शाया गया है :-

वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतिम टू-अप का सार

अ.क्र.	विवरण	राशि (रु. करोड़ में)
01.	टैरिफ आदेश दिनांक 28.03.2023 में अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता	17,228.31
02.	ऑडिटेड अकाउंट के आधार पर वार्षिक राजस्व आवश्यकता	23,079.22
03.	ऑडिटेड अकाउंट के अनुसार विद्युत विक्रय से राजस्व	22,242.97
04.	स्टैण्डएलोन राजस्व (कमी)/आधिक्य (3-2)	(836.24)
05.	वित्तीय वर्ष 2021-22 में CSPGCL, CSPTCL एवं CSLDC के अंतिम टू-अप के प्रभाव के कारण राजस्व (कमी)/आधिक्य	(586.73)
06.	पुनरीक्षण याचिका एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में CSPDCL के अंतिम टू-अप के प्रभाव के कारण राजस्व (कमी)/आधिक्य	(4,321.46)
07.	कैरिंग कॉस्ट सहित वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में आरपीओ के लिए अतिरिक्त प्रावधान को घटाए	179.50
08.	वर्ष 2023-24 हेतु कुल Closing राजस्व (कमी)/आधिक्य (4+5+6+7)	(5,564.93)
09.	कैरिंग कॉस्ट	(37.89)
10.	वर्ष 2025-26 के लिये Forward की गई कुल Closing राजस्व (कमी)/आधिक्य (8+9)	(5,603.23)

वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु संशोधित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (स्टैण्डएलोन) एवं संशोधित सकल कमी का सार

अ.क्र.	विवरण	राशि याचिकानुसार (रु. करोड़ में)	संशोधित राशि (रु. करोड़ में)
01.	वर्ष 2025-26 के लिये वार्षिक राजस्व आवश्यकता का अनुमान	23082.26	*23450.23
02.	प्रचलित दरों एवं प्रभारों के आधार पर अनुमानित राजस्व	24653.71	24653.71

03.	वर्ष 2025-26 के लिये स्टेण्ड एलोन राजस्व (कमी)/आधिक्य (2-1)	1571.45	1203.48
04.	वर्ष 2023-24 का Forward की गई कैरिंग कास्ट सहित कुल Closing राजस्व (कमी)/आधिक्य	(5603.23)	(5603.23)
05.	वर्ष के लिए होल्डिंग/कैरिंग कास्ट	(527.52)	(547.66)
06.	वर्ष 2025-26 के लिये कुल आधिक्य/(कमी) (4+5)	(6130.75)	(6150.89)
07.	वर्ष 2025-26 के लिये कुल संचयी राजस्व आधिक्य/(कमी) (कैरिंग कास्ट सहित) (6+3)	(4559.30)	(4947.41)

* स्मार्ट मीटर हेतु सर्विस चार्ज के मद में रु.367.97 करोड़ जोड़ा गया है।

वर्ष 2025-26 के लिये रिटैल टैरिफ प्रस्ताव

- (1) प्रस्तावित राजस्व कमी की भरपाई हेतु उपभोक्ताओं के सभी श्रेणियों में समान वृद्धि हेतु अनुरोध किया गया है।
- (2) टीओडी टैरिफ के लिए पात्र श्रेणी (एचव्ही-2, एचव्ही-3 एवं एचव्ही-4 श्रेणी) उपभोक्ताओं को "सोलर ऑवर्स" के दौरान उनकी अनुबंध भार से 20 प्रतिशत अतिरिक्त भार का उपभोग करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।
- (3) निम्नदाब श्रेणी में 112 किलोवाट से अधिक एवं अधिकतम 150 किलोवाट तक के नए विद्युत संयोजनों के आवेदकों हेतु उचित टैरिफ का प्रावधान करने हेतु अनुरोध किया गया है।
- (4) HV-3 एवं HV-4 टैरिफ श्रेणी के 11 KV & 33 KV में उपलब्ध लो लोड फैक्टर को समाप्त करने का अनुरोध किया गया।

CSPDCL द्वारा दिनांक 18/03/2025, 21/03/2025, प्रस्तुत याचिका मूल एवं संशोधित सार संक्षेप एवं CSPDCL द्वारा प्रस्तुत उत्तरवर्ती दस्तावेज आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in एवं CSPDCL की वेबसाइट www.cspdcl.co.in पर उपलब्ध है।

विद्युत कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका (अंग्रेजी) एवं सार संक्षेपिका (हिन्दी) की प्रतियां (i) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के कार्यालय एवं (ii) याचिकाकर्ता, कार्यपालक निदेशक (निका एवं ऊ.प्र.) कार्यालय, डंगनिया, रायपुर सहित (iii) रायपुर शहर, रायपुर ग्रामीण, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, अम्बिकापुर एवं रायगढ़ के क्षेत्रीय एवं वृत्त कार्यालयों में उपलब्ध हैं। याचिका अथवा सार संक्षेपिका को उक्त कार्यालयों से रु. 100/- अंग्रेजी प्रति हेतु तथा रु. 50/- हिन्दी प्रति के भुगतान पश्चात्, किसी भी कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। याचिका/सारांश की प्रति डाक द्वारा प्राप्त की जा सकती है जिस हेतु रु. 50/- का अतिरिक्त भुगतान किया जाना होगा।

यह आम सूचना, याचिका की प्रति एवं अनुगामी प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की प्रति (i) आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in एवं (ii) CSPDCL की वेबसाइट www.cspdcl.co.in पर भी उपलब्ध है।

याचिकाकर्ता की उपरोक्त याचिका पर इच्छुक व्यक्ति/संस्था अपने आपत्ति/सुझाव निम्नलिखित पते पर इस आम सूचना के प्रकाशित होने की तिथि से 21 दिनों की समयसीमा के भीतर व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर, पिन-492001 (E-mail: cserc.sec.cg@nic.in) एवं/या कार्यपालक निदेशक (नि.का. एवं ऊ.प्र.), छ.स्टे.पॉ. डिस्ट्री.कं.लि., डंगनिया, रायपुर, पिन-492013 (E-mail: cecomcseb@rediffmail.com) पते पर प्रेषित कर सकते हैं। माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा उपरोक्त याचिका पर जनसुनवाई हेतु दिनांक एवं समय पृथक से समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा।

कार्यपालक निदेशक (नि.का. एवं ऊ.प्र.)
छ.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लि., रायपुर